प्रेस नोट थाना तिलहर

जनपद- शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 12.12.2025

“जनपदीय एस0ओ0जी0 टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा करीब 37 वर्ष से फरार चल रहे वारंटी/उद्घोषित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं फरार चल रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी एस.ओ.जी./स्वॉट टीम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा **37 वर्ष से फरार चल रहे वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.08.1986 को मोहल्ला पक्का कटरा शाहजहाँपुर में गंगाधीन (मुनीम) व ओमप्रकाश रस्तोगी अपनी सुनार की दुकान हेतु रिक्शा से जा रहे थे तथा साथ में सुनारी कार्य के लिए तेज़ाब लिये हुए थे कि रास्ते में पूर्व सम्पत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर राजेश उर्फ राजू पुत्र धनीराम से कहासुनी हो गई, जो हाथापाई में बदलते ही छिना-झपटी के दौरान अभियुक्त द्वारा उनके हाथ में रखा तेज़ाब गंगाधीन व ओमप्रकाश पर फेंक दिया गया, जिसमें ओमप्रकाश गंभीर रूप से झुलस गया तथा गंगाधीन को भी जलन आई। इस घटना के आधार पर वादी संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश की तहरीर पर थाना तिलहर पर 28.08.1986 को मु0अ0सं0 270/1986 धारा 326/307 IPC अभियुक्त राजेश उर्फ राजू निवासी पक्का कटरा पंजीकृत किया गया, उक्त वाद में माननीय न्यायालय **ASJ-III शाहजहाँपुर** द्वारा दिनांक **30.05.1988** को अभियुक्त राजेश उर्फ राजू को धारा **326 IPC** में **आजीवन कारावास** एवं धारा **307 IPC** में **7 वर्ष के कारावास** की सजा सुनाई गई थी। अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर कर जमानत प्राप्त करने के उपरांत वर्ष **1988 से लगभग 37 वर्षों से फरार** चल रहा था तथा सजा से बचने हेतु लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। अभियुक्त पहले **गोला, लखीमपुर खीरी** में किराए पर रहकर, तत्पश्चात **मोहल्ला कपूरथला, लखीमपुर खीरी** में स्वयं का मकान बनाकर रहने लगा। बाद में वह विभिन्न राज्यों के धार्मिक स्थलों पर 2–4 माह रुककर लगातार स्थान परिवर्तन करता रहा तथा अंततः **गायत्री शक्ति पीठ, ककरौआ जिला शिवपुरी (म.प्र.)** में परिव्राजक/बाबा के वेश में छिपकर रह रहा था। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक **12.12.2025** को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी एसओजी/स्वॉट टीम के नेतृत्व में कार्यरत संयुक्त **एसओजी एवं सर्विलांस टीम** द्वारा उक्त **37 वर्ष से फरार वारण्टी अभियुक्त राजेश उर्फ राजू पुत्र धनीराम** को **गायत्री शक्ति पीठ, ककरौआ जिला शिवपुरी (म.प्र.)** से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से एक ही आधार संख्या **604685118224** के **दो आधार कार्ड** बरामद हुए—

(1)पता: मोहल्ला कपूरथला, लखीमपुर खीरी

(2) पता: रामपार्क, निकट हनुमान मंदिर, लोनी गाज़ियाबाद।

अभियुक्त की तस्दीक थाना तिलहर में स्थानीय व्यक्तियों एवं उसके पुत्र **कृष्ण मोहन उर्फ अनुज (मो. 8318823609)** द्वारा फोटो के माध्यम से की गई, जिसमें अभियुक्त की पहचान की पुष्टि हुई। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई कुर्की नहीं की गई थी तथा न ही किसी प्रकार का कोई इनाम घोषित था। अभियुक्त को आज दिनांक **12.12.2025 समय 08:30 बजे** मा० उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट से अवगत कराते हुए विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया, जिसे नियमानुसार माननीय न्यायालय **सीजेएम शाहजहाँपुर** के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरणः-

राजेश उर्फ राजू पुत्र धनीराम, उम्र करीब 58 वर्ष निवासी निवासी मोहल्ला पक्का कटरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 58 वर्ष, हाल पता मोहल्ला कपूरथला थाना सदर कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी

पंजीकृत अभियोग/वाद का विवरणः-

मु0अ0सं0 270/1986 धारा 326/307 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः-

उक्त अभियुक्त को गायत्री शक्ति पीठ, ककरौआ, जिला शिवपुरी (म.प्र.) से संदिग्ध के रूप में पुलिस हिरासत में लेकर थाना स्थानीय तिलहर पर लाया गया तथा पहचान पुष्ट होने पर दिनांक 12.12.2025 को समय लगभग 08:30 बजे अभियुक्त को विधिक रूप से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई गई।

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 270/1986 धारा 326/307 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 1321/2009 धारा 110 जी थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी।
मु0अ0सं0 4323/2010 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी एस0ओ0जी मय टीम
उ0नि0 श्री मनोज कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम